

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2004 / 2010 / जयपुर

मैसर्स भारती हैक्साकॉम लि.,
सी-स्कीम, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, उदयपुर।
हाल-सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-I, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पी.डी.जावरिया, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद, अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 12/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 151/अपी.-II/08-09/जे.पी.बी में पारित आदेश दिनांक 30.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, उदयपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 5,52,708/- को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या अर्जे-31/जी.ए.-0337 को होसर से जयपुर बैट्री प्लैट्स का परिवहन करते हुए चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी उक्त माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उन्होंने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनकी जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट-47 संख्या 2796010 के पार्ट-ए का कॉलम संख्या 3, पार्ट-बी के कॉलम संख्या 1,2,3,4,5 तथा पार्ट-सी के कॉलम संख्या 1,2,3 पूर्ण रूप से खाली थे। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने वैट-47 को अपूर्ण मानकर इसे अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति राशि रूपये 5,52,708/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत् रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा

निरन्तर.....2

पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विक्रेता व्यवहारी एवं अपीलार्थी व्यवहारी दोनों पंजीकृत व्यापारी हैं, एवं अपीलार्थी द्वारा लगातार बैट्री प्लेट्स का आयात किया जा रहा था एवं उक्त माल भी "सी" फॉर्म के समर्थन में आयात किया गया था। उन्होंने कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं वैट-47 उपलब्ध थे, परन्तु विक्रेता व्यापारी की जावक शाखा के लिपिक के नये होने के कारण उसके द्वारा वैट-47 पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था। उन्होंने कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेता व विक्रेता व्यापारियों के लेखा-जोखों की पूर्ण एवं स्वतंत्र जांच नहीं की जाकर शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि विधिविरुद्ध है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत एसीटीओ बनाम चन्डक एण्ड कम्पनी (RHC) सैल्स टैक्स टुडे 6 पार्ट I/10, एसीटीओ बनाम वोल्टास लि. (RHC) सैल्स टैक्स टुडे 6 पार्ट 3/97 एवं महावीर कन्डक्टर्स बनाम एसीटीओ (1993) 16 टैक्स वर्ड उद्धरित किया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माल से संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट कि माल का परिवहन होसर (तमिलनाडू) से जयपुर के लिए किया जा रहा था, एवं माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट-47 पूर्ण रूप से भरा हुआ भी नहीं था, जिस पर शास्ति का आरोपण विधिसम्मत है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 उद्धरित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल बैट्री प्लेट्स का परिवहन होसर (तमिलनाडू) से जयपुर के लिए किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी से मांगने पर उन्होंने परिवहनित माल से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये। इन दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट-47 पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं था। इस पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णयों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय में घोषणा पत्र होना ही "sufficient" नहीं माना बल्कि उसके अनिवार्य प्रविष्टियों को भरा जाने पर ही विधिक compliance किया जाना माना है। इस निर्णय में यह सिद्धान्त भी

प्रतिपादित किया है कि अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति आरोपण के लिये दोषी मनोभाव (mensrea) को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 2056/2014/जयपुर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 23.05.2018 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति आरोपण के लिये दोषी मनोभाव (mensrea) को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार से है—

.....If form which ultimately goes to the A.O. is blank in all material respects then is impossible for the A.O. to assess the dealer and it is this practice which has resulted in loss of revenue in crores to the State. Without description of the goods imported, it is easy to manipulate the value. If material particulars are not submitted, one fails to understand how assessment could be finalized. Moreover, as submitted on behalf of the State if has become a common practice to circulate the same form again and again resulting in loss of revenue to the State. It is for this reason that Rule 53 of the RST Rules 1995 contemplates the forms to be submitted duly filled in and duly completed. In the present case, the goods in movement were not supported by duly filled in Form No. 18A/18C. Therefore, there was contravention of Section 78(2) of the RST Act. 1994.....

.....As stated above, if the form is left incomplete and if the description of the goods is not given then it is impossible for the assessing officer to assess the taxable goods. Moreover, in the absence of value/price it is not possible for the A.O. to arrive at the taxable turnover as defined under Section 2(42) of the said Act. Therefore, we have emphasized the words "material particulars" in the present case.....

....."As stated, we are concerned with the blank declaration Form 18A/18C which has traveled with the goods in movement, thought signed, was left deliberate blank. The declaration Form 18A/18C is like a return under the Income-Tax Act, 1961. The Assessing Officer completes the assessment on the basis of Form 18A/18C. If that form is left blank in all material respects then it is impossible for the A.O. to arrive at the taxable turnover of the assessee. Therefore, in our view, the judgment of this Court in D.P. Metals (supra) has no application to the present case."

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैट-47 के पूर्ण रूप से भरे होने को ही विधिक compliance माना है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय Agrotech Food Limited Vs. Acto FS, Bhadra (2017) 47 TUD Page 47 पर पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय की पूर्ण व्याख्या के साथ घोषणा पत्र अपूर्ण होने पर शास्ति के आरोपण को उचित माना है।

8. माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा है कि घोषणा पत्र की विधिक अनिवार्यता पूरी नहीं होने पर शास्ति आरोपणीय है।

9. फलतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलौक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य